

(भारत के राजपत्र भाग-II, असाधारण, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

का.आ. (अ) - भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री राजकिरण राय जी के स्थान पर श्री एम. वी. राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा.सं. 9/1/2022-आईएफ-1]



ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार